# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर
# कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्र-78

फोन नं. 0761-2625799 ई-मेल:-deojabalpur@gmail.com:deputydeojbp@gmail.com

क्रमांक/1344/निर्वा./2018 जबलपुर दिनांक 07 सितम्बर 2018

## शुद्धि पत्र

विधानसभा निर्वाचन 2018 हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निविदा सूचना क्र/1276 जबलपुर दिनांक 14.08.2018 को जारी किया गया था, जिसमें निविदा क्रमांक "1280–विडियोग्राफी कार्य हेतु निविदा" मे निविदा खुलने से पूर्व उप–जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति को मान्य किया जाकर उक्त निविदा निम्नानुसार संसोधन के साथ आमंत्रित की जाती है :-

| निविदा | निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि | निविदा जमा करने की अंतिम तिथि | निविदा खुलने की तिथि | धरोहर राशि |
|---|---|---|---|---|
| **1280**- वीडियोग्राफी कार्य हेतु निविदा | 13.09.2018 | 13.09.2018 | 14.09.2018 | रू.20000/- |

उपरोक्त निविदाओं के संबंध में निम्नानुसार संशोधित निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1- उक्त निविदा दिनांक 13.09.2018 को शाम 4बजे तक कार्यालय के कक्ष क्रमांक 79में उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, शाम 4बजे के पष्चात निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नही की जावेगी।

2- उपरोक्त निविदाओं हेतु निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय (अवकाश दिवस को छोड़कर) कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कक्ष क्र-79 जबलपुर में निर्धारित राशि का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर या वेबसाइट Jabalpur.nic.in से फॉर्म को डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है । वेबसाइट से डाउनलोड निविदा प्रपत्र को स्वीकार किया जावेगा किन्तु उक्त स्थिति में निविदाकार को पृथक से **"कलेक्टर जबलपुर"** के नाम से निर्धारित निविदा प्रपत्र राशि का डिमांड ड्राफ्ट निविदा के लिफाफे भाग-1 के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3- केवल स्थानीय पंजीकृत तथा अनुभवी संस्थाऐं ही निविदा में भाग ले सकती हैं।

4- जिन निविदाकारों ने इस कार्यालय की निविदा सूचना क्रमांक 1276 दिनांक 14.08.2018 के अनुसार अपनी निविदा प्रस्तुत की थी, उन निविदाकारों को पुनः निविदा प्रपत्र की राशि एवं धरोहर राशि जमा करने की आवश्यकता नही होगी।

5- उपरोक्त निविदाकारों से पृथक जो भी निविदाकार उक्त निविदा में शामिल होना चाहते हैं, वह निविदा प्रपत्र की राषि एवं धरोहर राशि का डिमांड ड्राफट "कलेक्टर जबलपुर" के नाम से जमा कर निविदा में शामिल हो सकते हैं।

6- सभी निविदाकारों को नवीन निविदा प्रपत्र व संषोधन अनुसार निविदा प्रस्तुत करनी होगी।

7-चयनित निविदा में अंकित राशि में "Negotiation" का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर को होगा।

8- ई.एम.डी. की राशि डिमांड ड्राफ्ट जो कि **"कलेक्टर जबलपुर"** के नाम से देय होगी, निविदा के लिफाफे भाग-1 के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा I

9- निविदा प्रपत्र व धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा नगद राशि स्वीकार्य नही होगी ।

10-विगत तीन वर्षो का टर्न ओवर प्रमाण पत्र से आशय तीन वित्त वर्ष क्रमशः 2015-16, 2016-17, 2017-18 से है , जो की सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है ।

11-विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न से आशय तीन वित्त वर्ष (2015-16, 2016-17, 2017-18) से है ।

12-निविदा मान्य करने पर कार्यादेश प्रदान करने के पूर्व जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जबलपुर एवं निविदाकार के बीच राशि रू.500/- के स्टाम्प पर लिखित अनुबंध किया जावेगा । अनुबंध उपरान्त ही कार्यादेश दिया जाएगा ।

13- समय सीमा में कार्य पूर्ण न करना आदि कारणों से कार्यादेश निरस्त करने एवं देयक कटोत्री करने के साथ धरोहर राशि राजसात करने के संबंध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जबलपुर को होगा।

14- निविदा स्वीकृत होने पर कार्यादेश के अनुसार कार्य न करने पर संबंधित संस्था पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जवाबदारी निविदाकार की होगी।

15- निविदा के न्यूनतम/ अधिकतम भाव स्वीकार करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार कार्यालय को होगा, इसके लिये पृथक से कोई उत्तर दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

16- किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला जबलपुर का रहेगा एवं न्यायालयीन क्षेत्र जिला जबलपुर ही रहेगा।

17- निविदा मान्य/अमान्य करने अथवा किसी भी परिवर्तन का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर/जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जबलपुर का होगा ।

**कलेक्टर**
**एवं जिला निर्वाचन अधिकारी**
**जिला जबलपुर**

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर

क्रमांक/निर्वा./2018/1280 जबलपुर, दिनॉक 14/08/2018

## (निविदा सूचना)

विधान सभा चुनाव 2018 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घटनाओं (क्रिटिकल एवं निर्वाचन विधि का उल्लंघन) की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करने के लिए वीडियोग्राफरो से वीडियो कैमरा/डिजीटल कैमरा प्रति नग प्रति दर से सीलबंद निविदाएं दिनांक 01.09.2018 समय 02:00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदायें दिनॉक 31.08.18 को दोपहर 12:00 बजे तक कलेक्टर कार्यालय कक्ष क्रमांक 78. जबलपुर से 5000 रूपये नगद भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है या बेवसाईड www.jabalpur.nic.in से डाऊन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र की कीमत 5000/- (नगद या डी.डी. के रूप में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर के नाम देय होगा) भुगतान करना आवश्यक होगा। तथा निविदा दिनांक 01.09.2018 को सांय 02:00 बजे अपरान्ह तक कक्ष क्रमांक 78 कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर में प्रस्तुत की जा सकती है।

## निविदा प्रपत्र

## चुनाव प्रसार एवं मतदान के समय की वीडियो ग्राफी हेतु निविदा

कार्य क्षेत्र एवं सामान्य शर्ते :-

1 निविदा कार्यालयीन समय (अवकाश दिवस को छोडकर) में जिला निर्वाचन कार्यालय में कक्ष क्रमांक 78 के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा के सील बंद लिफाफे पर वीडियोग्राफी हेतु निविदा से लिखा अंकित होना तथा निविदाकार का पूर्ण पता अंकित होना आवश्यक है।

2 निविदा दो लिफाफा पद्वति के अनुरूप होगी। निविदाकार को एक लिफाफे भाग 01 व भाग-03 में निविदा प्रपत्र, फार्म की राशि की रसीद/डीडी, अमानत राशि की रसीद/डीडी, पेन नं, जीएसटी नं. अनुभव प्रमाण-पत्र, आयकर रिटर्न, टर्नओवर प्रमाण पत्र, वीडियो ग्राफरों की संख्या प्रपत्र इत्यादि तथा दूसरा लिफाफा भाग 02 में वित्तीय प्रस्ताव देना होगा। दोनों लिफाफा भाग-1 एवं भाग-02 सील बंद कर एक बडे लिफाफे में रख कर जमा करना होगा।

3 निविदा निर्धारित मूल प्रपत्र में प्रस्तुत की जाना चाहिये और निविदादाता द्वारा इसे हस्ताक्षरित होना चाहिये तथा निविदा सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाना चाहिये।

4 प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रू. 20,000/- (अंकन बीस हजार रू. मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैकर्स एंव निविदा फार्म राशि 5000 रू. (पॉच हजार रूपये मात्र) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर को संबोधित हो, संलग्न होना चाहिये।

5 प्राप्त निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति के समक्ष खोले जावेगें, जिन निविदाकर्ताओं के साथ अमानत की राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न नहीं होगा वह निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उसके द्वारा जमा अमानत राशि जो कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के पक्ष में देय होगी, को छोड़कर अन्य निविदाकारो की जमा अमानत राशि एक माह के भीतर वापिस की जावेगी।

6 स्वीकृत निविदादाताओं को वीडियो कैसेट/डी.व्ही.डी. स्वयं उपलब्ध कराना होगा।

5.1 कार्य दिवस, बगैर कार्य दिवस, की दरें पृथक-पृथक दी जावे।

5.2 निविदादाता को 9 विकास खंडों पर एक साथ 200 वीडियोग्राफर उपलब्ध कराने की क्षमता होनी चाहिए, आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफर/फोटोग्राफर की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।

6 निविदा प्रस्तुत करने वाली निविदादाता को निम्न शर्तो का पालन करना आवश्यक है।

6.1 निविदाकर्ता को कम से कम एक लोक सभा/विधान सभा में वीडियोग्राफी कार्य या अन्य किसी बड़े कार्य करने का जहाँ 100-150 कैमरे एक साथ संचालित करने का अनुभव या किसी बड़े संस्थान, कंपनी में एक वर्ष में कम से कम 20.0 लाख रूपये के वीडियोग्राफी का कार्य करने का अनुभव होना चाहिये। अनुभव प्रमाण-पत्र सलंग्न करना होगा।

6.2 यह निविदा स्वीकृत होने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगी। तथा आगामी लोकसभा निर्वाचन, सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन में भी यह दर मान्य होंगी।

6.3 निविदादाता का विगत् तीन वर्षो का वार्षिक टर्नओवर 20.0 लाख से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए चार्टड एकाउण्टेंट/अधिवक्ता आयकर से प्रमाणित होना चाहिए।

6.4 निविदादाता का किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी से कोई संबंध नहीं होना चाहिये। निविदादाता किसी भी राजनैतिक पार्टी अथवा अभ्यार्थी से चाय, नाश्ता, खाना इत्यादि ग्रहण नहीं करेगा, यदि इसका उल्लघंन पाया गया तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

6.5 निविदादाता या उसका अधिकृत व्यक्ति अपनी ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित नहीं रहेगा। ड्यूटी के दौरान निविदादाता और दल को चाय नाश्ता, भोजन देने का प्रबंध निविदाकर्ता द्वारा किया जावेगा।

6.6 निविदादाता सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।

6.7 निविदादाता का कार्य क्षेत्र तथा आवश्यक कैमरों की संख्या परिशिष्ट -1, 2 तथा 3 के अनुसार होगी।

6.8 निविदादाता वीडियो कैसेट पूर्ण होने तक कैसेट की सुरक्षा के लिये पूर्णत: जिम्मेदार होगा। वीडियो कैसेट पूर्ण होने पर निविदादाता तत्काल उक्त कैसेट एवं सी.डी. को जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सौपेंगा। तत्पश्चात् उस कैसेट एवं सी.डी./डी.व्ही.डी. की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी की होगी।

6.9 प्रत्येक खंड के कार्य का विस्तृत ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदादाता को यथा समय उपलब्ध कराया जावेगा।

6.10 निविदादाता प्रतिदिन की प्रगति रिर्पोट जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

6.11 निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदादाता की ये जिम्मेदारी होगी कि कार्य निर्वाध रूप से निरंतर चलता रहे। किसी भी तरह के विलंब अथवा रूकावट के लिये उसे कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा तथा प्रतिभूति की राशि हर्जाना स्वरूप राजसात् कर ली जावेगी।

6.12 जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उसे यह सुनिश्चित् करना होगा कि निविदा प्रपत्र के भाग 1 में उसमें जितने वीडियों कैमरों की संख्या का उल्लेख किया गया है वे सभी कार्य हेतु उपलब्ध रहें।

7 जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि गुण दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकता है।

8 निविदादाता निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट 3 संलग्न प्रमाण पत्र में हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करेंगें।

9 किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा।

10 यदि निविदादाता द्वारा निर्धारित शर्तें एवं प्रक्रिया तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी एवं निविदादाता को किसी तरह का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं किसी अन्य वीडियो ग्राफर से कार्य लिया जावेगा एवं उसे देय अतिरिक्त राशि का भुगतान संबंधित निविदादाता से वसूल किया जावेगा।

11 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम में कोई परिवर्तन करने संबंधित निर्णय लेने के कारण अथवा चुनाव कार्यक्रम में होने वाले किसी भी परिवर्तन के कारण/संशोधित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार निविददित (कान्ट्रेक्टेड) दर से अपनी सेवा जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिये बाध्य रहेगा। संशोधित चुनाव कार्यक्रम के कारण सेवा अवधि में होने वाली वृद्धि के लिये निविदादाता को देय सेवा शुल्क का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निविदित दर को दृष्टिगत् रखते हुए, किया जावेगा जो कि निविदादाता को मान्य होगा।

12 भारत शासन/म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित जीएसटी आपके द्वारा दिये गये दर में सम्मलित नहीं रहेगा, निर्धारित दर के अनुसार जीएसटी की राशि अलग से दर्शानी होगी तथा उपरोक्त टैक्सों का अग्रिम भुगतान करने के उपरांत ही आपके देयकों के भुगतान पर विचार किया जावेगा।

13 निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि, निविदाकार को उपरोक्त शर्ते स्वीकार है।

14 निविदा में वर्तमान जीएसटी क्रमांक आवश्यक रूप से लिखा जावे। बिना जीएसटी क्रमांक के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

15 निविदा में आयकर का नम्बर दर्शाया जाना आवश्यक है। नम्बर न होने की दशा में नियमानुसार आयकर की राशि उनके देयकों में से काटी जा सकती है।

16 निविदा के प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये।

17 निविदादाता अधिक जानकारी के लिये जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के कक्ष क्रमांक ......... में संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

18 सफल निविदाकार को 500/- रूपये के स्टाम्प पर एक लिखित इकरारनामा देना होगा जिसका नमूना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस इकरारनामा के अंतर्गत सफल निविदाकार के असफल होने पर अन्य व्यवस्था करने पर हुये अतिरिक्त व्यय की वसूली निविदाकार की अमानत राशि या राजस्व वसूली के रूप में की जा सकेगी।

19 निविदाकार का चयन सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव लिफाफा भाग-01 के अनुरूप होगा। तकनीकी प्रस्ताव में अनुतीर्ण होने की दशा में संबधित निविदाकार का वित्तीय लिफाफा भाग- 02 नहीं खोला जाएगा।चयन तकनीकी प्रस्ताव उत्तीर्ण होने के बाद अनुभव उसके द्वारा प्रस्तुत सामग्री स्टाक एवं वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।

20 किसी भी कार्य के लिए केवल एक निविदा प्राप्त होने की दशा में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर या पूर्व निर्वाचन में स्वीकृत दर से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 प्रतिशत से अधिक दर होने की दशा में पुनः निविदा आंमत्रित की जाएगी।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जबलपुर (म.प्र.)

पृ..क्रं./निर्वा./2018/ जबलपुर, दिनॉक / /2018

प्रतिलिपि :-

1 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल को सादर सूचनार्थ।
2 आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सादर सूचनार्थ।
3 उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर को सूचनार्थ।
4 मेसर्स ............................................................... को सूचनार्थ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जबलपुर (म.प्र.)

## – आवेदन पत्र –

प्रति,

जिला निर्वाचन अधिकारी
जबलपुर (म.प्र.)

विषय :- वीडियो ग्राफी एवं फोटो ग्राफी हेतु दिनांक / /18 को समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा अनुसार प्रस्तुत सामग्री का दर।

मैं ........................................................ पिता का नाम ................ ..............................................उम्र ................ फर्म का नाम एवं पता ................ .......................... जीएसटी क्रमांक ................................... आयकर हेतु पेन नं. .... ..................................... है। इस आवेदन के साथ कलेक्टर जबलपुर के पक्ष में बैंकर्स चैक/डी.डी. क्रं. ................. दिनांक .................. राशि....................................... (जारी बैंक का नाम) ......................................................... प्रस्तुत कर रहा हूँ।

इस पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार समस्त सामग्रियों के नाम के सामने प्रपत्र अनुसार दर्ज है, तथा पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ।

**हस्ताक्षर एवं सील**

भाग/परिशिष्ट – 1 (तकनीकी प्रस्ताव)
निविदादाता के व्यवसाय का ब्यौरा
(निविदादाता द्वारा भरा जावेगा)

1. निविदाकार का नाम और पता –..........................................................

..................................................................................

2. निविदाकार/संस्था/सोसायटी –..........................................................

(संगठन/साझेदारों की संख्या) ..................................................

3. अनुभव (प्रमाण–पत्र संलग्न करें।) –.....................................................

4. पिछले तीन वर्षो में व्यापार का टर्न –.....................................................

ओवर (आपका रिटर्न की प्रति संलग्न करें।)

5. पैन नं. (फोटो प्रति संलग्न करें।) – ...............................................

6. जीएसटी नं. (फोटो प्रति संलग्न करें।)–...............................................

6. उपलब्ध कैमरों तथा उन्हें संचालित – ...............................................
करने वाले उपलब्ध अनुभवी व्यक्तियों
की संख्या (नाम, पता मोबाईल नं. सहित सूची संलग्न करें।)
(विवरण परिशिष्ट – 3 में उल्लेखित है)

7 धरोहर राशि का विवरण बैंक/पोस्ट

ऑफिस का नाम – ..........................................................
बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैकर्स नं./नगद (रसीद) –...................................................
बैंक का नाम –..........................................................
दिनांक – ..........................................................
राशि – ..........................................................

निविदाकार के हस्ताक्षर

# परिशिष्ट/भाग–2 (तकनीकी)
# बोली (दर) को प्रदर्शित करने वालों पत्रक (ब)
# मतदान की वीडियोग्राफी

| क्रमांक | कार्य का संक्षिप्त विवरण | खण्डों के अनुसार गठित मतदान केन्द्रों के समूह (संलग्न सूची के अनुसार) | खण्डों के अनुसार गठित मतदान केन्द्रों के प्रति खण्ड लगाई गई बोली | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | प्रति घंटे हेतु दर | प्रति दिवस (न्यूनतम 10 घंटे हेतु दर) | प्रति सप्ताह 7 दिवस (प्रति दिवस न्यूनतम 10 घंटे हेतु दर) | प्रति माह (30 दिवस प्रति दिवस 10 घंटे हेतु दर) |
| 1 | जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के आदेशानुसार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल घटनाओं एवं मतदान केन्द्रों की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी | जबलपुर एवं समस्त तहसील विकासखण्डों के लिये | | | | |
| | | जी.एस.टी. राशि | | | | |
| | | **योग राशि** | | | | |

1. मैं/हम सहमत है कि प्रस्ताव निविदा खुलने के दिनांक से एक सप्ताह तक स्वीकृत हेतु वैध रहेगा, जब तक कि किसी अवधि के दौरान मेरे/हमारे द्वारा लिखित रूप से प्रस्ताव वापसी हेतु/जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित नही किया जाता है।

2. बैंकड्राफ्ट/बैंक चैकर्स नं./नगद (रसीद) ......................दिनांक ................राशि ............. .... को/जिला निर्वाचन अधिकारी के पक्ष में देय है, धरोहर राशि के रूप मे संलग्न प्रेषित है। मुझे/हमें स्वीकार है कि धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है। यदि मेरे/हमारे द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रक्रिया का उल्लघंन किया जाता है। तो मेरे/हमारी धरोहर की राशि राजसात् कर ली जावेगी। मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि यदि मेरे/हमारी धरोहर की राशि राजसात् नहीं होती है तो उसे मेरी/हमारी निविदा स्वीकृति के उपरांत प्रतिभूति की राशि में समायोजित कर ली जावे।

स्थान :–जबलपुर
दिनांकः–.....................

**निविदाकार के हस्ताक्षर**

नाम :– .......................................................
..

पता :– .......................................................
...

परिशिष्ट/भाग - 3

वीडियोग्राफर एवं उनके दल के सदस्यों का व्यक्तिगत विवरण

| स. क्रं. | नाम | पिता का नाम | निवासी | मतदान केन्द्र का अनुक्रमांक एवं मतदाता सूची का सरल क्रमांक | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

निविदाकार के हस्ताक्षर